न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक 01.05.2025

निर्णय दिनांक 06-11-2025

प्रकरण संख्या 229/2025

उनवान

1. बंशी पुत्र श्री आत्माराम ढोली निवासी सोलबीघा आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा
2. बसंती बाई पुत्री श्री आत्माराम ढोली नि0 सोलबीघा आरजिया तह0 व जिला भीलवाड़ा।
3. मंजू पुत्री श्री आत्माराम ढोली निवासी सोलबीघा आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
4. महिपाल पुत्र श्री आत्माराम ढोली नि0 सोलबीघा आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. मीठू पुत्री श्री आत्माराम ढोली निवासी सोलबीघा आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
6. राजू पुत्र श्री आत्माराम ढोली निवासी सोलबीघा आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
7. सोसर पत्नी श्री आत्माराम ढोली नि0 सोलबीघा आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
8. हंसराज पुत्र श्री आत्माराम ढोली नि0 सोलबीघा आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. रामपाल पुत्र श्री हरिचन्द जाट निवासी बांसा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. नवल पुत्र श्री प्रहलाद तेली निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
3. बंशी लाल पुत्र श्री बालू लाल बलाई निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा।
4. बंशी कामड़ पुत्र श्री ओमप्रकाश कामड़ निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा (राज०)

–– विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री भैरू लाल मेघवंशी उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं।**
3. **विपक्षी संख्या 05 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोलबीघा पटवार हल्का क्षैत्र आरजिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1146 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1147 रकबा 0.7461 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.7840 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम सोलबीघा पटवार हल्का क्षैत्र आरजिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1146 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1147 रकबा 0.7461 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.7840 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कोटडी को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06-11-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Abshd

([illegible] सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा